

## प्रकरण संख्या 40 / 2024 शिवसिंह बनाम राजेन्द्रसिंह व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.02.2025	<p>प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा नई का गुडा, तहसील बड़गांव में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 14 के स्वामित्व आधिपत्य की आराजी नंबर 377 रकबा 2.3000 हैक्टर भूमि स्थित है तथा पक्षकारान मौके पर अपने-अपने हिस्से अनुसार काबिज होकर उपयोग-उपभोग करते चले आ रहे हैं। वादीगण ने अपने हिस्से की भूमि पर पक्की बाउण्ड्रीवाल बना रखी है, किन्तु मीट्स एण्ड बाउण्ड्स कानूनी रूप से विभाजन नहीं हुआ है। अतः विवादित आराजीयात का वाद पत्र की कलम संख्या 3 में दर्ज हिस्से अनुसार पक्षकारान के मध्य मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।</p> <p>प्रतिवादी संख्या 3, 5, 6, 12 द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन कर निवेदन किया कि वादीगण ने बिना विभाजन कराये विक्रय पत्र में वर्णित भूमि के बजाय अन्य भूमि पर जबरन कब्जा करके बाउण्ड्रीवाल बना दी है, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है तथा जबरन कब्जे की आड़ में वादीगण प्रतिवादीगण की भूमि हड़पना चाहते हैं। विशेष कथन में यह भी निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी में से प्रतिवादी संख्या 12 के 1/5 हिस्से में से 1 बीघा भूमि कय की है एवं प्रतिवादीगण के मध्य हुए विक्रय इकरार अनुसार बकाया राशि रूपया 1,00,000/- अदा नहीं किया है। इसलिए जब तक वादी प्रतिवादी संख्या 12 की उक्त बकाया राशि अदा नहीं कर देते एवं विधिवत विभाजन नहीं करवा लेते तब तक विवादित भूमि के किसी विशेष भाग पर कब्जा करने के अधिकारी नहीं हैं। अतः वादीगण का वाद खारिज किया जावे।</p> <p>वादीगण द्वारा जवाबुल जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण का प्रतिवादी संख्या 12 से कोई राशि बकाया नहीं है। वादीगण द्वारा सम्पूर्ण प्रतिफल राशि जरिये चालान अदा कर दी है, कोई भी राशि</p>	



प्रकरण संख्या 40 / 2024 शिवसिंह बनाम राजेन्द्रसिंह व अन्य

बकाया नहीं है। प्रतिवादी संख्या 12 के मन में फितूर आ जाने से उक्त कथन किया है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 27.05.2024 को निर्णय पारित करते हुए वादीगण का वाद स्वीकार का विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्त/प्रतिवादी संख्या 12 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 10.06.2024 को प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोंडेन्ट संख्या 16 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए, जबकि शेष रेस्पोंडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अपीलान्त की ओर से अधिवक्ता श्री सुनील शर्मा उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्त ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि वादीगण/रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 बिना विधिवत विभाजन कराये अविभाजित भूमि पर बाउण्ड्रीवाल का निर्माण करा उसके अनुसार विभाजन कराना चाहता है, जो विधिक दृष्टि से उचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने केवल वादीगण/रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्र के आधार पर प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी है, जबकि विवादित भूमि अपीलान्त व रेस्पोंडेन्ट संख्या 3 से 13 की पैत्रक होकर उसका अभी विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं होने से प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण के वाद का प्रतिवादीगण द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया है, जिसका जवाबुल जवाब भी वादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को प्लीडिंग्स के आधार पर तनकियां

प्रकरण संख्या 40 / 2024 शिवसिंह बनाम राजेन्द्रसिंह व अन्य

कायम साक्ष्यों के आधार पर तनकीवार निर्णय पारित करना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना तनकियां कायम तथा बिना साक्ष्यों का विधिवत विवेचन किये मात्र एक पैरा में निर्णय पारित करते हुए मात्र वादीगण के कथनों के आधार वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी, जो प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 24 / 21 निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 27.05.2024 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में प्लीडिंग्स के आधार पर तनकियां कायम कर तथा पक्षकारों की साक्ष्य लेकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर तनकीवार निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 04.04.2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 06.02.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)  
भू-प्रबन्ध अधिकारी  
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी  
उदयपुर